न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 72/16 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2016/00349

उनवान

1. बसन्ता पुत्र गोदा जाति कुम्हार निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान (मृतक)
   1/1. दुर्गा देवी पत्नि स्व0 श्री बसन्ता जाति कुम्हार
   1/2. रोहिताश पुत्र स्व0 श्री बसन्ता जाति कुम्हार
   1/3. कैलाशचन्द पुत्र स्व0 श्री बसन्ता जाति कुम्हार
   1/4. प्रकाशचन्द पुत्र स्व0 श्री बसन्ता जाति कुम्हार
   1/5. महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री बसन्ता जाति कुम्हार
   समस्त निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर(राज0)

.....अपीलांट।

बनाम

1. पूरणचन्द पुत्र नाथा जाति मेघवाल (मृतक)
   1/1. श्रीमति छोटा पत्नि पूरणचन्द जाति मेघवाल (मृतक)
   1/2. गेंदाराम पुत्र पूरणचन्द जाति मेघवाल
   1/3. शोभाराम पुत्र पूरणचन्द जाति मेघवाल
   1/4. सूरजभान पुत्र पूरणचन्द जाति मेघवाल
   1/5. विमला पुत्री पूरणचन्द पत्नि राधेश्याम जाति मेघवाल निवासी कंवरपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।
   1/6. सन्तोष पुत्री पूरणचन्द पत्नि बिल्लू जाति मेघवाल
   1/7. मंजू पुत्री पूरणचन्द पत्नि पप्पू जाति मेघवाल निवासी जलालपुर तहसील तिजारा, अलवर।
2. जवाहरा पुत्र फूंसा उर्फ फूसला जाति मेघवाल (मृतक)
   2/1. बनारसी पत्नि जवाहरा जाति मेघवाल (मृतक)
   2/2. राजेन्द्र पुत्र स्व0 श्री जवाहरा जाति मेघवाल
   2/3. बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री जवाहरा जाति मेघवाल
   2/4. हंसराज पुत्र स्व0 श्री जवाहरा जाति मेघवाल निवासी श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर।
   2/5. बाला पुत्री स्व0 श्री जवाहरा पत्नि लाला
   2/6. कृष्णा पुत्री स्व0 श्री जवाहरा पत्नि महेन्द्र जाति मेघवाल निवासी श्यामपुरा तहसील

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

बानसूर हाल ससुराल निवासी बडली की ढाणी पोस्ट ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

3. सूरमल पुत्र गुलजारी जाति मेघवाल (मृतक)
   3/1. श्रीमति माया पत्नि स्व0 सूरमल जाति मेघवाल
   3/2. मंजीत पुत्र स्व0 सूरमल जाति मेघवाल
   3/3. सरजीत पुत्र स्व0 सूरमल जाति मेघवाल
   3/4. दीपा पुत्री स्व0 सूरमल पत्नि जयप्रकाश जाति मेघवाल निवासी हाल करवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।
4. सुभाष चन्द पुत्र गुलजारी जाति मेघवाल
5. बाबूलाल पुत्र गुलजारी जातिं मेघवाल
6. घीसाराम पुत्र गीलाराम जाति गुर्जर
7. पाला पुत्र नन्चू जाति गुर्जर (मृतक)
   7/1. बसन्ती पत्नि स्व0 श्री पाला जाति गुर्जर
   7/2. रामस्वरूप पुत्र स्व0 श्री पाला जाति गुर्जर
   7/3. लीलाराम पुत्र स्व0 श्री पाला जाति गुर्जर
   7/4. मान सिंह पुत्र स्व0 श्री पाला जाति गुर्जर निवासी कासूकी ढाणी तन श्यामपुरा पोस्ट खोहरी तहसील बानसूर जिला अलवर।
   7/5. धूंधा पुत्री स्व0 पाला पत्नि मातादीन जाति गुर्जर
   7/6. पतासी पुत्री स्व0 पाला पत्नि हजारी जाति गुर्जर
   7/7. कमली पुत्री स्व0 पाला पत्नि ख्याली जाति गुर्जर
   7/8. धोली पुत्री स्व0 पाला पत्नि सुरेश जाति गुर्जर निवासी कासूकी की ढाणी तन श्यामपुरा तहसील बानसूर हाल ससुराल निवासी कडिया की ढाणी तन इन्द्राडा तहसील बानसूर जिला अलवर।
   7/9. सन्तोषी पुत्री स्व0 पाला पत्नि यादराम जाति गुर्जर
   7/10. सुरज्ञान पुत्री स्व0 पाला पत्नि हवा सिंह जाति गुर्जर निवासीयान कासूकी ढाणी तन श्यामपुरा पोस्ट श्यामपुरा तहसील बानसूर हाल ससुराल निवासी देवसन पोस्ट भग्गूकाबास तहसील बानसूर जिला अलवर।
8. संतरा पत्नि बाबूलाल जाति मेघवाल (मृतक)
9. आजाद पुत्र बाबूलाल जाति मेघवाल
10. खुशीराम पुत्र बाबूलाल जाति मेघवाल निवासीयान श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान।
11. पपली पत्नि ग्यारसा जाति मेघवाल पत्नि अर्जुन सिंह निवासी दायमा की ढाणी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज0।
12. ताराचन्द पुत्र भंवरिया जाति मेघवाल
13. छाजू सिंह पुत्र सिरदारा जातिं गुर्जर
14. कैलाश पुत्र सिरदारा जाति गुर्जर
15. सुगाराम पुत्र सिरदारा जाति गुर्जर

उपखण्ड अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

16. जगदीश पुत्र सिरदारा जाति गुर्जर
17. तहसीलदार साहब बानसूर वहैसियम लैण्ड होल्डर तहसील बानसूर जिला अलवर।

.....असल रैस्पो0

18. मेदा पुत्र गोदा जाति कुम्हार निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर।

..... तरतीवी रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 सहायक कलक्टर बानसूर दिनांक 30.01.1997 उनवानी पूरणचन्द बनाम सरदारा मु0न0 507/94

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री मोहन सिंह राना उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री गिरीश चतुर्वेदी उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 21.11.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर कुम्हेर के आदेश दिनांक 28.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील बानसूर में स्थित है। विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार वादीगण के पूर्वज रहे हैं। विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में नाथा व फूसा कर्ता खानदान होने के कारण उनके नाम दर्ज रही है। परन्तु खिलाफ रिकार्ड व खिलाफ कानून व खिलाफ कब्जा, बन्दोबस्त विभाग ने विवादित आराजी में प्रतिवादी/अपीलाण्ट व उनके पूर्वजो को बेजा रूप से खातेदार दर्ज कर दिया। जबकि उनका विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी से प्रतिवादी के नाम कलमजन किये जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। यह है कि तहत न्यायालय ने निर्णय से पूर्व

अपीलाण्ट को कोई सूचना नहीं दी एवं ना ही अपीलाण्ट पर अधीनस्थ न्यायालय के किसी सम्मन की विधिवत तामील ही हुयी है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली दिनांक 29.11.1996 तक तलवी में विचाराधीन रही है एवं दिनांक 23.12.1996 को प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये, निर्णय पारित कर दिया। प्रकरण में अपीलाण्ट को पेशी दिनांक 09.06.1994 के लिये सम्मन जारी किये गये हैं। जिन पर अगूँठा निशानी हो रहा है। नियमानुसार किसी पक्षकार द्वारा अगूँठा निशानी करने पर, उसकी पहचान हेतु दो गवाहो के हस्ताक्षर अंकित होना जरूरी है। परन्तु उक्त सम्मन पर किसी गवाह के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। अतः इसे समुचित तामील नहीं माना जा सकता है। जब प्रकरण में पक्षकारो के लिये पुनः सम्मन जारी करने के आदेश पारित हो चुके थे, तो अधीनस्थ न्यायालय को पुराने सम्मनो के आधार पर तामील मानने की कार्यवाही उचित नहीं है। चूंकि अपीलाण्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी थी। अतः अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 21.08.2008 को बहनो द्वारा रिलीज डीड कराने की कहने पर हुयी। जवाब धारा 5 की मद संख्या 02 में दिनांक 01,03.1996 को अपीलाण्ट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना बताया है। जबकि दिनांक 01.03.1996 की कोई तारीख पेशी ही नहीं लगी। अतः मियाद के बिन्दु पर उदार दृष्टि अपनाते हुये, अपील अपीलाण्ट जानकारी की दिनांक से मियाद अन्दर शुमार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर एआईआर 2011 पेज 144, 2013 पेज 151, आरआरटी 2011(2) पेज 984, 2001(2) पेज 1211, डीएनजे 2021(1) पेज 653, आरबीजे 2019 पेज 267, एआईआर 1987 पेज 1353, आरबीजे 2018 पेज 372, आरआरडी 1998 पेज 319, आरबीजे 2006 पेज 198, 2018 पेज 566, आरआरटी 2001(2) पेज 1006, 2005(1) पेज 588, 2022(2) पेज 1039, आरआरडी 1993 पेज 716, 1994 पेज 215 1990 पेज 441, 384, 1988 पेंज 499, डीएनजे 2013(2) पेज 886, 2008(2) पेज 774 का उद्धरण पेश किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो० ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.01.1997 का है। अपील सन् 2008 में प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 21.08.2008 को होना अंकित किया है। लेकिन कोई आधार नही बताया है एवं ना ही पटवारी का शपथ पत्र ही प्रस्तुत किया है। अपीलाण्ट की अधीनस्थ न्यायालय में व्यक्तिगत तामील हुयी है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी का कोई युक्ति युक्त कारण नहीं बताया। पूर्व में पेश अपील मियाद बाहर मानी है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका तब तक सही मानी जावेगी, जब तक उसे किसी दस्तावेजी साक्ष्य से गलत साबित नहीं कर देते। जब चस्पान्दगी से तामील होगी तब दो गवाहो के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है एवं मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर डीएनजे 2021(2) पेज 804, 2021(1) पेज 121, 635, 2004(2) पेज 530, 2007 पेज 367, 2009(1) पेज 215, 2009(2) पेज 799, 2013(3) पेज 1321, 2014(4) पेज 1463, 2014(3) पेज 1132, 2016(1) पेज 201, 2016(3) पेज 1425.

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

2020 पेज 221, आरआरडी 1990 पेज 20, 1992 पेज 427, 1986 पेज 10 का उद्धरण पेश किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना अपेक्षित है। हम पाते हैं कि प्रकरण में अपीलाण्ट को पेशी दिनांक 09.06.1994 के लिये सम्मन जारी किये गये थे। जिन पर अपीलाण्ट का अगूँठा निशानी हो रहा है। अगूँठा निशानी होने पर, आदेश 5 नियम 18 जा0दी0 सपठित नियम 178 रेवेन्यू कोर्टस मैनुअल पार्ट 2 के अनुसार दो गवाहो से तस्दीक कराया जाना आवश्यक था। परन्तु उक्त सम्मन पर ना तो तामील कुनिन्दा की कोई हल्फिया रिपोर्ट अंकित है एवं ना ही उसकी पहचान हेतु दो गवाहो के हस्ताक्षर ही अंकित हैं। अतः नियम एवं न्यायिक दृष्टान्तो के आधार पर इसे समुचित तामील नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा जिस पेशी दिनांक 09.06.1994 के लिये अपीलाण्ट को सम्मन भेजे गये थे, की आदेशिका पर तो दूर पेशी दिनांक 22.12.1994 तक की आदेशिका पर अपीलाण्ट व किसी अन्य पक्षकारो के सम्मनो की तामील बाबत् कोई अंकन नहीं है। तत्पश्चात् पेशी दिनांक 24.03.1995 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः नोटिस तलवाना प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं जो वादी रैस्पो0 द्वारा 29.11.1996 तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी आदेशिकाओ में पूर्व पालना, अंकित की जाकर तारीख पेशी निर्धारित की जाती रही हैं एवं पेशी दिनांक 23.12.1996 को प्रतिवादी/अपीलाण्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये। जब प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारो के लिये पुनः सम्मन जारी करने के आदेश दिनांक 24.03.1995 को पारित किये जा चुके थे, तो हमारी दृष्टि में अधीनस्थ न्यायालय को करीब एक साल पूर्व जारी, पुराने सम्मनो के आधार पर तामील मानने की कार्यवाही उचित नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अपीलाण्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक पक्षीय कार्यवाही गलत रूप से पुराने सम्मनो के आधार पर लायी गयी थी। अतः अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं होना स्वभाविक है। अतः मियाद अधिनियम धारा 5 के अनुसार मियाद की गणना जानकारी की तिथि से ही होगी। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलाण्ट जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद शुमार की जाकर सुनवाई हेतु ग्रहण की गयी।

6. गुणावगुण पर अधिवक्ता रैस्पो0 ने दौराने बहस कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अधिवक्ता अपीलाण्ट का कथन रहा है कि अपीलाधीन आदेश से उनके हित प्रभावित होते हैं। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट के विरूद्ध एक पक्षीय रूप से पारित हुआ है। अतः प्रकरण अपीलाण्ट को विधिवत सुनवाई एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया गया है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये पुनः विधिवत निर्णय पारित करने हैतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, बानसूर के आदेश दिनांक 30.01.1997 आपस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित

करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि व
अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.12.2023 को वास्ते सुनवाई उपिस्थत होवें। पत्रावली फैस
शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायाल
का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 21.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

21-11-2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर